उत्तर प्रदेश शासन
श्रम अनुभाग–5
संख्या–670/36–5–12–12(एम)/2012
लखनऊः दिनांक 15 मई,2012

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012

1. नाम — यह नियमावली उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली, 2012 कहलायेगी।

2. उद्देश्य — इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत 30 वर्ष से अधिक आयु के उन बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना है जो इस नियमावली में दी गयी अर्हता की शर्तों से आच्छादित हैं। साथ ही इन युवा बेरोजगारों को प्रदेश की प्रगति में समुचित रूप से नियोजित करने का प्रयास करते हुए उनकी रोजगारपरकता में अभिवृद्धि करना इस योजना का उद्देश्य है।

3. प्रसार/विस्तार — यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

4. प्रारम्भ होने की तिथि — यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

5. परिभाषायें (i) योजना — इस नियमावली के प्रयोजनार्थ "योजना" का तात्पर्य "उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, 2012" से है।

(ii) बेरोजगार — "बेरोजगार" का तात्पर्य इस नियमावली में निर्धारित अर्हता की शर्तों को पूर्ण करने वाले 30 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी रोजगार, जिसमें सरकारी, अर्द्धसरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरी एवं स्वरोजगार सम्मिलित हैं, में लगा न हो एवं प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

(iii) बेरोजगारी भत्ता — "बेरोजगारी भत्ता" का तात्पर्य इस नियमावली के अन्तर्गत अर्ह बेरोजगारों को दिये जाने वाले मासिक भत्ते से है।

(iv) परिवार — "परिवार" का तात्पर्य बेरोजगार व्यक्ति एवं उसकी पत्नी अथवा पति, जैसी भी स्थिति हो, तथा उसकी सन्तानों से है।

6. अर्हता

1.आयु (i) इस योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आय जिस वित्तीय वर्ष हेतु बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाना हो उस वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल को 30 वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

(ii) लाभार्थी को अन्य शर्तें पूर्ण करते रहने की दशा में 40 वर्ष की आयु पूर्ण करने के माह तक योजना का लाभ मिलता रहेगा।

(अनुमन्य साक्ष्य – हाई स्कूल का प्रमाण पत्र।)

2.शैक्षिक योग्यता – हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(अनुमन्य साक्ष्य – हाई स्कूल अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र।)

3. मूल निवास एवं
निवास – बेरोजगार व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा हो।
(अनुमन्य साक्ष्य –
(i) मूल निवास हेतु अनुलग्नक–3 में निर्धारित प्रारूप पर उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार का प्रमाण पत्र।
(ii) निवास हेतु अनुलग्नक– 4 में उल्लिखित अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की छायाप्रति।)

4.पारिवारिक आय – बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की समस्त श्रोतो से आय रू० 36000/= वार्षिक से कम होनी चाहिए तथा बेरोजगार व्यक्ति के पुरूष, अविवाहित महिला, विधवा अथवा परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला होने की दशा में उसके माता पिता एवं विवाहित महिला होने की दशा में उसके सास ससुर की आय समस्त श्रोतों से 1,50,000/- वार्षिक अथवा इससे कम होनी चाहिए।
(अनुमन्य साक्ष्य –
(i) अनुलग्नक– 5 में निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की आय तथा,
(ii) अनुलग्नक–6 में निर्धारित प्रारूप पर बेरोजगार व्यक्ति के माता-पिता अथवा सास–ससुर, जैसी भी स्थिति हो, की आय का प्रमाण पत्र।)

5- सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण – किसी वित्तीय वर्ष में 15 मार्च तक प्रदेश के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होने की दशा में बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष में आवेदन पत्र जमा करने के माह के अगले माह की पहली तिथि से, इस भत्ते की स्वीकृति की दशा में, अनुमन्य होगा।

7. बेरोजगारी भत्ते की धनराशि – इस भत्ते की धनराशि रू०1,000/= प्रति माह होगी।

8. प्रक्रिया – 1. इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अर्ह बेरोजगार व्यक्ति को अपने सेवायोजन कार्यालय, जहां वह पंजीकृत है, में इस नियमावली के अनुलग्नक–1 पर निर्धारित प्रारूप पर दिये गये आवेदन पत्र को भर कर

प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न किये जाएंगे:-

(अ) रू० 10/= के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र में अनुलग्नक-2 में निर्धारित प्रारूप पर नोटरी अथवा ओथ कमिश्नर द्वारा अभिप्रमाणित शपथ पत्र।

(ब) उसी सेवायोजन कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र (x-10) की छायाप्रति।

(स) मूल निवास के साक्ष्य हेतु अनुलग्नक-3 में उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।

(द) वर्तमान निवास के साक्ष्य हेतु इस नियमावली के अनुलग्नक-4 में उल्लिखित अभिलेखों में से किसी एक अभिलेख की छायाप्रति।

(य) हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा की अंकतालिका की छाया प्रति।

(र) हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ल) आय के साक्ष्य हेतु क्रमशः अनुलग्नक- 5 एवं 6 में दिये गये (i) परिवार की आय का प्रमाण पत्र (ii) माता पिता अथवा सास-ससुर, जैसी भी स्थिति हो, की आय का प्रमाण पत्र।

(व) अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार आवेदक की स्थिति में जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

2. सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त आवेदन पत्र का परीक्षण किया जायेगा, उसके प्रथम दृष्टया पूर्ण होने की दशा में आवेदक को अनुलग्नक-7 में निर्धारित प्रारूप पर पावती दी जावेगी।

3. आवेदक को स्वयं के पते लिखे 11"x5" तथा रजिस्टर्ड डाक हेतु निर्धारित रू० 25/- के डाक टिकट लगे दो लिफाफे भी आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे।

4. (i) बेरोजगार अभ्यर्थी द्वारा जिस जनपद में बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया जाता है, उस जनपद के राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किसी भी शाखा में एक बचत खाता खोलना होगा।

(ii) बेरोजगारी भत्ते के आवेदन पत्र पर बैंक एवं बैंक शाखा का नाम तथा खाता संख्या यथास्थान लिखी जायेगी तथा इसका अभिप्रमाणन आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संबंधित बैंक के अधिकृत अधिकारी से कराकर आवेदन पत्र सेवायोजन कार्यालय में जमा कराया जायेगा।

5. (i) बेरोजगार व्यक्ति आवेदन पत्र जमा करते समय हाई स्कूल की मूल अंकतालिका एवं मूल प्रमाण पत्र साथ लायेगा।

(ii) कार्यालय मूल से आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की छाया-प्रति का मिलान कर सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक अभिलेख एवं प्रविष्टियां ठीक हैं।

(iii) आवश्यक प्रविष्टियों एवं अभिलेखों की जॉच के बाद कार्यालय द्वारा अभ्यर्थी की उक्त हाईस्कूल की मूल अंकतालिका के पीछे मोहर लगायी

जायेगी, ताकि बेरोजगार व्यक्ति एक से अधिक स्थान पर भत्ता प्राप्त नहीं कर सके।

6. बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे प्रत्येक बेरोजगार व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास की किसी भी तिथि में सेवायोजन कार्यालय में आकर इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वह अभी भी बेरोजगार है, जिसके आधार पर उसको अगले वित्तीय वर्ष में बेरोजगारी भत्ता दिया जाता रहेगा। यह शपथ पत्र नियमावली के अनुलग्नक–8 के अनुरूप होगा।

7. इस योजना के सुचारू संचालन के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा ऑनलाइन व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिसके विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

9. योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

1. बेरोजगारी भत्ता योजना का क्रियान्वयन प्रदेश स्तर पर प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सम्बन्धित सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी द्वारा किया जायेगा

2. बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति क्षेत्रीय/जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा परीक्षण के बाद सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी के द्वारा की जायेगी एवं पूर्ण एवं सही रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र पावती की तिथि से एक माह के अन्दर स्वीकृत कर दिया जायेगा।

3. जिन व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जाता है, उनकी सूची सूचना पट पर लगाने के साथ-साथ विभागीय वेबसाइट पर प्रसारित की जावेगी। साथ ही यह सूची जिलाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों को भेजी जायेगी।

4. किसी आवेदन पत्र के अस्वीकृति की सूचना सम्बन्धित आवेदक को दी जायेगी।

5. अर्ह बेरोजगार व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान त्रैमासिक किश्तों में किया जायेगा।

6. यदि बेरोजगार व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति के उपरान्त रोजगार प्राप्त कर लेता है, तो रोजगार प्राप्त करने के माह से उसे बेरोजगारी भत्ता अनुमन्य नहीं होगा तथा यह सूचित करने का उसका दायित्व होगा कि उसे अमुक माह से रोजगार मिल गया है।

7. योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा, जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लीड बैंक अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित दो अन्य अधिकारी होंगे। सहायक निदेशक/जिला रोजगार विकास अधिकारी इस समिति का संयोजक सचिव होगा।

8. जिलाधिकारी द्वारा यथा आवश्यकता स्वीकृत मामलों का समय–समय पर यादृच्छिक (random) सत्यापन कराया जायेगा।

9. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बन्धित जिले का जिलाधिकारी किसी भी अधिकारी से जॉच कराकर निर्णय लेगा जो अन्तिम होगा।

10 आडिट

बेरोजगारी भत्ता योजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेख सम्बन्धित सहायक निदेशक/जिला रोजगार सहायता अधिकारी द्वारा सुरक्षित रखे जायेंगे तथा यथा समय सुसंगत नियमों के अनुसार आडिट कराया जायेगा।

11 अन्य

1. गलत शपथ पत्र अथवा गलत विवरण देने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति का बेरोजगारी भत्ता रोक दिया जायेगा एवं उसके विरूद्ध समुचित कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

2. बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों से सरकार / जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में उनके निवास स्थान के विकास खण्ड अथवा नगर क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय क्षेत्र की सीमाओं में, उनके रोजगारपरक कौशल की वृद्धि हेतु उनसे समय-समय पर कार्य लिया जा सकता है। यदि बेरोजगारी भत्ता पाने वाला व्यक्ति बुलाये जाने पर कार्य करने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो उसका बेरोजगारी भत्ता रोका जा सकता है।

आज्ञा से,

शैलेश कृष्ण

(शैलेश कृष्ण)
प्रमुख सचिव।